कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–5 / 1110 / 2022 / 10–11 / 821 भोपाल, दिनांक 07-03-22

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल झाबुआ,
मध्यप्रदेश।

विषयः– झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के अंतर्गत एन0एच0–47 से खेड़ा मेघनगर पेटलावद मार्ग के निर्माण / उन्नयनीकरण हेतु 0.9526 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, झाबुआ को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/149537/2021)

संदर्भः– अप्रर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर का पत्र क्र0 / मा0चि0 / 815 दि. 07.02.2022

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 9,12,381/- is to be paid for the 0.9526 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

4- प्रकरण में कोई वृक्ष नहीं काटे जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 100 वृक्षों की राशि 2000 / – प्रति वृक्ष की दर से राशि रू. 2,00,000 / – कैम्पा मद में जमा कराई जावे।

-2-

5- User agency shall restrict the no felling of trees.

6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.

8- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

9- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

10- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

11- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

12- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

13- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

14- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

15- No work shall be done during night.

16- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि रू. 9,12,381/-/– एवं 100 वृक्षों की रोपण की राशि रूपये 2,00,000/– आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर झाबुआ का प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

7/3/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

E:\Rakesh\2022\Section Misc 22.docx

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1110 / 2022 / 10–11 / 822 भोपाल, दिनांक 07-03-22

प्रतिलिपिः–

1– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

2– महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बसंत कॉलोनी, झाबुआ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7/3/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल